भूमि मे आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 13 की आराजी नं० 9298 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि मे से पश्चिमी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 15 फीट चौड़ाई के रास्ते के रुप मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थिया से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 13 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.24 14:07:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थिया उपस्थित. वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं० 9297/1 रकबा 12 बिस्वा भूमि ग्राम कीर खेड़ा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थिया के आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी से 01 लगायत 13 की आराजी नं० 9298 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि मे से पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे-सहारे 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया गया। तथा भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत:

:: आदेश ::

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की आराजी ग्राम कीर खेड़ा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 9297/1 रकबा 12 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एवं मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahi...
Date: 2020.11.24 14:07
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी